सत्यमेव जयते

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

प्रजनक संघ की स्थापना के लिए रूपरेखा

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
Rajeev Ranjan Singh alias Lalan Singh

सत्यमेव जयते

मंत्री
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
MINISTER
MINISTRY OF FISHERIES,
ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING,
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

भारत, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वर्ष 2023-24 में यहां अनुमानित दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन रहा। यहां दुनिया की सबसे बड़ी बोवाइन आबादी भी है, जिसमें 303 मिलियन गोपशु और 112 मिलियन भैंसें शामिल हैं। देश में गोपशुओं की 53 देशी नस्लें और भैंसों की 21 नस्लें हैं, जिनमें उच्च उत्पादकता वाले पशुओं के रखरखाव के माध्यम से दूध के उत्पादन में सुधार करने पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। प्रजनक संघ, प्रजनन लक्ष्य निर्धारित करके, पशु झुंड के लिए सटीक पुस्तिकाएं तैयार करने और उत्पाद नवाचार, विपणन, बिक्री और हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से नस्ल के मान को बढ़ाकर देशी नस्लों को बढ़ावा देता है और उनका विकास करता है।

भारत में देशी पशु नस्लों के प्रचार, संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, ''प्रजनक संघ की स्थापना के लिए व्यापक रूपरेखा'' प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह पहल वैज्ञानिक प्रजनन पद्धतियों को बढ़ावा देने, आनुवंशिक विविधता में सुधार करने और हमारे पशुधन सेक्टर का धारणीय विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रजनकों के बीच आपसी सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुँच के लिए एक संरचित मंच बनाकर, यह रूपरेखा पशु उत्पादकता बढ़ाने और पशुपालन में लगे किसानों की आजीविका में सुधार करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

मैं पशुपालन विभाग, राज्य सरकारों, पशु चिकित्सा विशेषज्ञों और प्रजनकों के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना करता हूँ जिन्होंने इस दस्तावेज़ को तैयार करने में योगदान दिया है। प्रस्तावित प्रजनक संघ न केवल देशी नस्लों के संरक्षण को मजबूत करेंगे बल्कि प्रजनकों को तकनीकी सहायता, उत्कृष्ट पशुओं की पहचान, प्रशिक्षण से लेकर बाजार संपर्क और वित्तीय सहायता तक विकास के लिए आवश्यक सभी उपकरण भी प्रदान करेंगे। मैं सभी हितधारकों को देश भर में प्रजनक संघों की सफल स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक समर्थन और संसाधन प्रदान करने में मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ, जिससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन संबंधी इस परिवर्तनकारी पहल की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित होगी।

(राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

Room No. 234, B- Wing, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001 (India)
Ph. +91 11-23380780/81/82 Fax: +91 11- 23380783 Resi. 011-23782781/82

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
Prof. S.P. Singh Baghel

सत्यमेव जयते

मंत्री
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,
भारत सरकार
कृषि भवन, नईं दिल्ली-110001
MINISTER
MINISTRY OF FISHERIES,
ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING,
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मैं प्रजनक संघों की स्थापना संबंधी इस व्यापक रूपरेखा को तैयार करने और इसका प्रचार-प्रयास करने के लिए किए गए समर्पित प्रयासों की हार्दिक सराहना करता हूं। इस दस्तावेज़ में पंजीकरण प्रक्रियाओं, शासन-प्रणाली, सदस्यता और नस्ल संरक्षण रणनीतियों संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जो पशुधन प्रजनन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक हैं। पंजीकरण संबंधी विस्तृत प्रोटोकॉल में विशिष्ट प्रजनक सोसायटी आईडी जारी करना और भारत पशुधन पोर्टल में एकीकरण शामिल है, जो प्रजनक संघों की पारदर्शिता, जवाबदेही और उनका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।

मैं इस पहल में योगदान देने वाले विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और हितधारकों की समर्पित टीम की सराहना करता हूं। राज्य और राष्ट्रीय नीतियों को संरेखित करने, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और विस्तार सेवाओं तथा प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण का समर्थन करने के क्षेत्र में इनका काम नस्ल के संरक्षण और विकास से संबंधित प्रयासों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा।

अनुसंधान संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और उद्योग के भागीदारों के बीच सहयोग, धारणीय पशुधन विकास के समन्वित दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है। मुझे विश्वास है कि इस रूपरेखा के कार्यान्वयन से देश भर में वैज्ञानिक प्रजनन पद्धितियों, नस्ल संरक्षण और किसानों तथा प्रजनकों के लिए बेहतर आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। शासन-प्रणाली, प्रबंधन और निधियन के प्रति संरचित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रजनक संघ कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करें और अंततः हमारे पशुधन क्षेत्र के विकास और स्थिरता में योगदान दें।

यह रूपरेखा देशी नस्लों की सुरक्षा और मजबूत प्रजनक नेटवर्क के माध्यम से उनके 'मान' को बढ़ाने में हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं सभी हितधारकों, सरकारी निकायों, शोधकर्ताओं, किसानों और विकास भागीदारों को इस रूपरेखा में उल्लिखित लक्ष्यों को साकार करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह पहल पूरे देश में हर पशुपालक के लिए पशुपालन को अधिक लाभदायक, धारणीय और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

Office : Room No.199-J, 1st Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Residence : 7, K, Kamraj Lane, New Delhi - 110011
Phone : 011-23380378, 23380379, E-mail : mos-fahd@dahd.nic.in

अलका उपाध्याय, भा.प्र.से
Alka Upadhyaya, IAS
सचिव
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
मत्स्यपालन. पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Department of
Animal Husbandry & Dairying
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 के दौरान यह 9.82% की CAGR से बढ़ा है और यह देश के सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। पशुपालन क्षेत्र 100 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने और राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस संदर्भ में, प्रजनक संघ की स्थापना भारत की देशी पशुधन नस्लों की समृद्ध विविधता के आनुवंशिक सुधार, संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। ये संघ संगठित मंच के रूप में कार्य करते हैं जो नस्ल विकास, झुंड पुस्तिका प्रबंधन, क्षमता निर्माण और देश के दूध उत्पादन को बढ़ाने पर सहयोग करने के लिए पशुपालकों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाते हैं।

पशुपालन विभाग राष्ट्रीय गोकुल मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में प्रजनक संघों की अपार क्षमता को पूरी तरह से स्वीकार करता है। उनकी स्थापना जीनोमिक मूल्यांकन, राष्ट्रीय दुग्ध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम और वैज्ञानिक प्रजनन पद्धतियों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने संबंधी पहल में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

इस मैनुअल में उल्लिखित दिशानिर्देशों के व्यवस्थित कार्यान्वयन से न केवल हमारी बोवाइन नस्लों के संरक्षण और आनुवंशिक सुधार में सहायता मिलेगी, बल्कि यह उच्च आनुवंशिक-गुणता वाले जर्मप्लाज्म की पहचान और वितरण और बेहतर बाजार संपर्कों के माध्यम से डेयरी किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। मैं इस आवश्यक स्त्रोत को बनाने में लगे सभी लोगों के समर्पण की सराहना करती हूं। उनके सहयोगी प्रयास निस्संदेह हमारे पशुधन क्षेत्र के सतत विकास में योगदान देंगे। मुझे विश्वास है कि इस मैनुअल का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाएगा और सभी हितधारकों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। यह किसानों, क्षेत्रीय पशु चिकित्सकों, पशुपालन अधिकारियों और डेयरी क्षेत्र में शामिल अन्य लोगों के लिए एक अमूल्य संसाधन के रूप में काम करेगा, सतत पशुधन विकास को बढ़ावा देगा और हमारे किसानों की आजीविका में सुधार करेगा।

(अलका उपाध्याय)

e-mail : secyahd@nic.in, Tel.: +91-11-23382608, Fax : +91-11-23388006
Website : https://dahd.nic.in

वर्षा जोशी, भा.प्र.से
Varsha Joshi, IAS
अपर सचिव
Additional Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
मत्स्यपालन. पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Department of
Animal Husbandry & Dairying
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

भारत का पशुधन क्षेत्र ग्रामीण समृद्धि और कृषि लचीलेपन का आधार है, जो देश भर में लाखों परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। इस क्षेत्र ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत दुनिया का अग्रणी दूध उत्पादक देश बना हुआ है। यह वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है। देश में दूध के उत्पादन में पिछले दशक में 63.56% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2014-15 में 146.3 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 239.30 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। यह हमारे पशुपालकों की क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

हमारा देश गोपशुओं और भैंसों की आनुवंशिक विविधता से संपन्न है। यहां 53 पंजीकृत देशी गोपशु नस्लें और 21 भैंस नस्लें हैं, जिनमें से कई नस्लें रोग प्रतिरोधक क्षमता, गर्मी को सहने की क्षमता और विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने जैसी अनूठी विशेषताएँ प्रदर्शित करती हैं। हालांकि, असंगठित और अवैज्ञानिक प्रजनन पद्धतियों, व्यवस्थित निष्पादन रिकॉर्डिंग की कमी और कमजोर बाजार संपर्कों जैसी चुनौतियों के कारण इन आनुवंशिक संसाधनों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है।

इस संदर्भ में, भारत में प्रजनक संघों की स्थापना संरचित और वैज्ञानिक नस्ल सुधार की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। ये संघ नस्ल-विशिष्ट आनुवंशिक वृद्धि कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, नस्ल और निष्पादन रिकॉर्ड बनाए रखने, किसान की क्षमता का निर्माण करने और हमारी देशी नस्लों का संरक्षण और विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे प्रजनकों, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देंगे, जिससे पशु प्रजनन संबंधी ज्ञान, सर्वोत्तम पद्धतियों और नवाचारों को साझा करने के लिए एक मजबूत मंच तैयार होगा।

मैं देश भर में विभिन्न नस्लों के लिए प्रजनक संघों की स्थापना और विकास के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से अपना पूरा समर्थन व्यक्त करती हूँ। मैं सभी हितधारकों, किसानों और संस्थानों से सक्रिय रूप से भाग लेने और इस महत्वपूर्ण पहल की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करती हूँ। मैं इस रूपरेखा को तैयार करने में अपनी टीम के समर्पित प्रयासों की भी सराहना करती हूँ और विश्वास व्यक्त करती हूँ कि यह हमारे पशुधन क्षेत्र की गुणवत्ता, उत्पादकता और धारणीयता में पर्याप्त सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

(वर्षा जोशी)

Tel. No. +91-11-23384509, 23383228, E-mail : jsdairy-ahd@nic.in
Website : https://dahd.gov.in

विषय सूची

1. प्रस्तावना — 1
2. प्रजनक संघों का लाभ — 3
3. परिभाषाएँ — 3
4. प्रजनक संघों के लिए संस्थागत ढांचा — 4
5. प्रजनक संघों की संरचना — 5
6. शासन प्रणाली — 5
7. प्रबंधन — 5
8. संगठन की देखरेख — 6
9. निधियन — 6
10. सदस्यता — 6
11. सेवाएँ/बिक्री/कार्यकलाप — 7
12. प्रजनक संघों की प्रक्रिया और प्रोटोकॉल — 7

12.1 पशु पंजीकरण — 7

12.1.1 पंजीकरण प्रक्रिया — 7

12.1.2 पूरक पंजीकरण/रिकॉर्डिंग — 8

12.1.3 एकाधिक जन्म — 8

12.1.4 भ्रूण अंतरण — 8

12.1.5 आनुवंशिक लक्षण — 8

13. स्वामित्व की रिकॉर्डिंग — 8

14. पशु निरीक्षण/वर्गीकरण — 9

15. पेरेंटेज सत्यापन — 9

16. भारत पशुधन पोर्टल पर पंजीकरण — 9

17. राज्य सरकारों की भूमिका और प्रजनक संघ का पंजीकरण — 9- 10

पंजीकरण आवश्यकताएँ — 10

राज्य-स्तरीय पंजीकरण और विशिष्ट पहचान — 11

अनुबंध I — 12

सदस्यता आवेदन पत्र — 12

अनुबंध II — 13

प्रजनक संघ पंजीकरण आवेदन पत्र — 13-15

केवल राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए — 16

1. प्रजनक संघ की स्थापना के लिए रूपरेखा

प्रस्तावना

जैसा कि ज्ञात है, प्रजनक संघों की स्थापना आमतौर पर किसी प्रजाति के भीतर विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक विशेष नस्ल को बढ़ावा देने और विकसित करने तथा उनके पालकों और अन्य हितधारकों के बीच लाभ साझा करने के लिए की जाती है। उनके मिशन वक्तव्य में आमतौर पर प्रजनन लक्ष्य का विकास, पशुयूथ पुस्तिका सहेजना और उत्पाद विकास, विपणन, बिक्री, मीडिया तथा कार्यक्रमों आदि के माध्यम से नस्ल का प्रचार और उपयोग शामिल होता है।

1. वैश्विक स्तर पर, मान्यता प्राप्त नस्लों के लिए प्रजनक संघों की स्थापना के साथ पशु प्रजनन अत्यधिक संरचित हो गया है। ये संघ पशुओं के संरक्षण और आनुवंशिक विविधता को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक प्रजनन पद्धतियों को बढ़ावा देते हैं और विनियमित करते हैं। वे अपने-अपने देशों में गोपशु प्रजनन की गुणवत्ता और उत्पादकता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई देशों में गोपशु प्रजनन के लिए समर्पित राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संघ हैं। होलस्टीन संघ यूएसए, जर्सी कैटल सोसाइटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड कैटल ब्रीडर्स संघ, ब्राजीलियन संघ ऑफ ज़ेबू प्रजनक, इंटरनेशनल ब्रैंगस ब्रीडर्स संघ इन यूएसए, ड्यूशर होलस्टीन वर्बांडे.वी. (डीएचवी) - जर्मन होलस्टीन संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कुछ प्रमुख प्रजनक समितियां हैं। ये संगठन दुनिया भर में गोपशु प्रजनन की आनुवंशिक प्रगति और आर्थिक स्थिरता दोनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय निकाय मुख्य रूप से खाद्य और कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (ILRI), अंतर्राष्ट्रीय पशु प्रजनक संघ (IFAB), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD), अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ (IDF) भी प्रजनक समितियों की स्थापना और सफल संचालन में योगदान देते हैं। उनके प्रयास वैश्विक स्तर पर धारणीय पशुधन खेती, आनुवंशिक सुधार और देशी नस्लों के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं।

1.2 भारत में, सबसे प्रारंभिक नस्ल समितियों में से एक का गठन तत्कालीन आंध्र प्रदेश में ओंगोल गोपशुओं के लिए किया गया था, जबकि देश में कई घोड़ा समितियों को भी मान्यता दी गई है। पिछले दशक में, ओडिशा में चिलिका भैंस विकास के लिए गठित एक समिति (वर्ष 2004 में) ने चिलिका भैंस नस्ल की मान्यता और पंजीकरण प्राप्त किया। विकसित की गई कार्यप्रणाली ने वर्ष 2007 के दौरान कच्छ में बन्नी भैंस प्रजनक समिति के गठन के साथ-साथ वर्ष 2015 के दौरान मध्य प्रदेश में बेरारी बकरी समिति का गठन किया। भारत में कई राज्यों ने अपने स्वयं के विशेष प्रजनक संघों की स्थापना की है जो उचित प्रजनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। ये संघ अक्सर प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं और किसानों को उनके पशुधन प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में महाराष्ट्र राज्य गोपशु और भैंस प्रजनक संघ, पंजाब राज्य डेयरी किसान कल्याण संघ और कर्नाटक बकरी किसान कल्याण संघ शामिल हैं। पंजाब के प्रगतिशील डेयरी किसान संघ, भी प्रशिक्षण, संसाधनों तक पहुँच, वित्तीय सहायता और नीतिगत सलाह की पेशकश करके किसानों को अमूल्य सहायता प्रदान करते हैं।

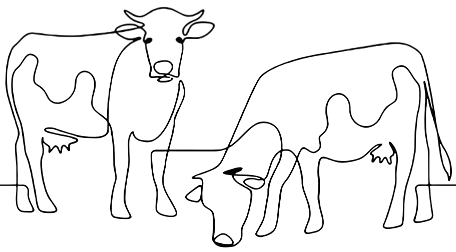

प्रगतिशील डेयरी किसान संघ (PDFA)

पीडीएफए डेयरी किसानों के समग्र विकास के लिए काम करने वाला एक अग्रणी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के तकनीकी सहयोग से हुई थी और वर्ष 2006 में विभाजन के बाद भी पीडीएफए (प्रगतिशील डेयरी किसान संघ) किसानों के कल्याण के लिए काम करने का मकसद जारी रखे हुए है। डेयरी किसानों को जानकारी देने के लिए 1990 में डेयरी संदेश के नाम से एक पत्रक शुरू किया गया था, जिसे वर्ष 2006 में पूर्ण त्रैमासिक तकनीकी पत्रिका "डेयरी संदेश" में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे सदस्य किसानों के बीच मुफ्त में वितरित किया जाता है। किसानों को नई तकनीकों के संपर्क में रखने के लिए संघ द्वारा मासिक सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। पीडीएफए तैयार जानकारी प्रदान करने के लिए डेयरी फार्मिंग और पशु पोषण पर तकनीकी पुस्तकें प्रकाशित करता है। यह किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले पशु रखने के लिए प्रेरित करने और वैज्ञानिकों, कंपनियों और किसानों को एक मंच पर लाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय डेयरी शो और प्रदर्शनी का आयोजन करता है। संघ यूएसए से उच्च आनुवांशिक क्षमता वाले गोपशु सांड़ों के सीमन का आयात करता है। वर्ष 2008 के दौरान, सी.आर.आई. से लगभग 9000 फ्रोजन सीमेन खुराकें खरीदी गईं तथा चालू वर्ष के दौरान संघ द्वारा वर्ल्ड वाइड साइरस लिमिटेड, यू.एस.ए. से 12000 एफ.एस.डी. आयातित की गईं। संघ यूको बैंक के साथ गठजोड़ करके डेयरी किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। किसानों को बेहतर दूध खरीद मूल्य प्रदान करने के लिए एसोसिएशन ने मिल्कफेड पंजाब के साथ गठजोड़ किया है। सदस्य किसानों को बेहतर तकनीकी और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मोबाइल हेल्प वैन सुविधा प्रदान की जा रही है।

कार्यकलाप

सामग्रियों का प्रकाशन

संघ त्रैमासिक पत्रिका "डेयरी संदेश" और एक समाचार पत्र "पीडीएफए पत्रिका" प्रकाशित करता है तथा किसानों को उनके दरवाजे पर तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए इसे निःशुल्क भेजता है। संघ तैयार जानकारी प्रदान करने के लिए पुस्तकें और पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित करता है।

ऋण सुविधा

संघ ने किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के साथ विभिन्न समझौते किए हैं और “व्हाइट कार्ड” जैसी विभिन्न वित्तीय योजनाएं शुरू की हैं।

डेयरी शो

किसानों को अच्छी नस्ल के पशु पालने के लिए प्रेरित करने के लिए हर साल फरवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी शो और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इस शो में विभिन्न नस्ल प्रतियोगिताएं, दूध दुहने की प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।

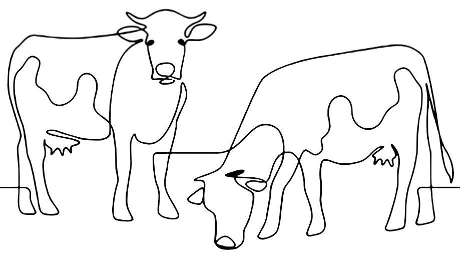

सीमन का आयात

डेयरी गोपशुओं की नस्ल में सुधार के लिए अमेरिका से उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों का हिमित सीमन का आयात किया जाता है।

1.3 नस्ल समितियां पशुपालकों और अन्य हितधारकों को नस्लों के संरक्षण और विकास में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और स्थानीय नस्लों के महत्व और संवर्धन पर प्रकाश डालती हैं, उनकी नस्ल विशेषताओं पशु प्रजनकों का दस्तावेजीकरण करती हैं, और मूल्य संवर्धन का कार्य करती हैं जिससे नस्लों में सुधार होता है।

एबीसीजेड (ABCZ) ब्राज़ील

1.3 नस्ल समितियां पशुपालकों और अन्य हितधारकों को नस्लों के संरक्षण और विकास में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और स्थानीय नस्लों के महत्व और संवर्धन पर प्रकाश डालती हैं, उनकी नस्ल विशेषताओं पशु प्रजनकों ABCZ ब्राज़ील में ज़ेबू गोपशुओं के लिए प्रजनकों का समुदाय है। ABCZ सालाना 6,00000 से ज़्यादा ज़ेबू गोपशुओं को पंजीकृत करता है, जिसमें 12 मिलियन से ज़्यादा पशु पंजीकृत हैं। PMGZ कार्यक्रम के ज़रिए यह पूरे देश में 3,600 से ज़्यादा पशुयुथों पर नज़र रखता है। ABCZ वैज्ञानिक शोध, उच्च शिक्षा और तकनीकी नवाचारों को भी बढ़ावा देता है। ABCZ के 22,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। वर्ष 1980 में ABCZ के तहत ब्राज़ीलियन एसोसिएशन फ़ॉर गिर (ABCGIL) की भी स्थापना की गई थी।

2. प्रजनक संघों के लाभ

क) स्थानीय नस्ल के पालन, रखरखाव, संवर्धन, विकास, संरक्षण और कुशल उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

ख) क्षेत्र में स्थानीय नस्ल के आनुवंशिक विकार मुक्त शुद्ध नस्ल के पशुओं का प्रचार-प्रसार करना।

ग) देशी नस्ल के पशुओं के पालन के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करना।

घ) हितधारकों के बीच पहुँच और लाभ साझा करना

3. परिभाषाएं

i. नस्ल: प्रजातियों के भीतर पालतू पशुओं की एक समरूप आबादी, जो समान पहचान योग्य विशेषताओं को साझा करती है और विशिष्ट उपयोग के लिए जानबूझकर किए गए चयन और प्रजनन का परिणाम है।

ii. नस्ल संघ/प्रजनक संघ: पशुओं की नस्ल को बढ़ावा देने और विकसित करने तथा प्रजनकों का समर्थन करने के लिए स्थापित एक संगठन

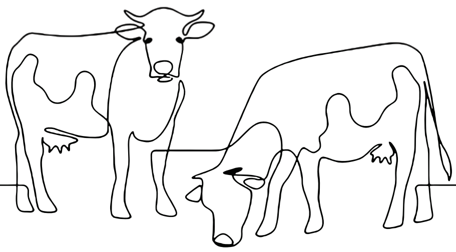

iii. पशु यूथ पुस्तिका: नस्ल संघ के लिए एक और शब्द, विशेष रूप से वह जो पशु यूथ पुस्तिका रखता है। पशु यूथ पुस्तिका नस्ल के पशुओं का एक रजिस्टर है, जो नस्ल की विशेषताओं और/या मानक के अनुरूप होता है। पशु यूथ पुस्तिका में प्रविष्टियों में आम तौर पर प्रत्येक पशु के लिए उसकी पहचान, जन्म तिथि, लिंग, नाम, उसके माता-पिता और उसके स्वामी की पहचान, पता आदि शामिल होते हैं। पशु यूथ पुस्तिका में पंजीकृत होने के लिए पशु को पशु यूथ पुस्तिका संचालित करने वाले नस्ल संघ के नियमों में निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होता है। इन मानदंडों में आम तौर पर यह शामिल होता है कि माता-पिता भी उसी पशु यूथ पुस्तिका में पंजीकृत हों और पशु में वे विशेषताएं हों जो नस्ल को परिभाषित करती हैं।

iv. शुद्ध नस्ल: पशुयूथ पुस्तिका का वह पशु जिसके माता-पिता और/या कई पीढ़ियों के अन्य पूर्वज सभी एक ही पशु यूथ पुस्तिका में पंजीकृत हैं।

v. पशु प्रजनन: चयनित पशुओं की, उनकी संतानों में विशिष्ट गुण और लक्षण जैसे कि बेहतर उत्पादकता, रोग प्रतिरोधक क्षमता या विशिष्ट शारीरिक विशेषताएँ उत्पन्न करने के इरादे से मेटिंग की प्रथा।

vi. प्रदर्शन रिकॉर्डिंग: पशु के प्रदर्शन डेटा (जैसे, दूध का उत्पादन, विकास दर, प्रजनन क्षमता, आदि) को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया, जिसका उपयोग प्रजनकों की सोसायटी द्वारा गोपशुओं की गुणवत्ता का आकलन करने और सुविचारित प्रजनन संबंधी निर्णय लेने के लिए किया जाता है।

4. प्रजनक संघों के लिए संस्थागत ढांचा

प्रजनक संघ के लिए संस्थागत ढांचा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

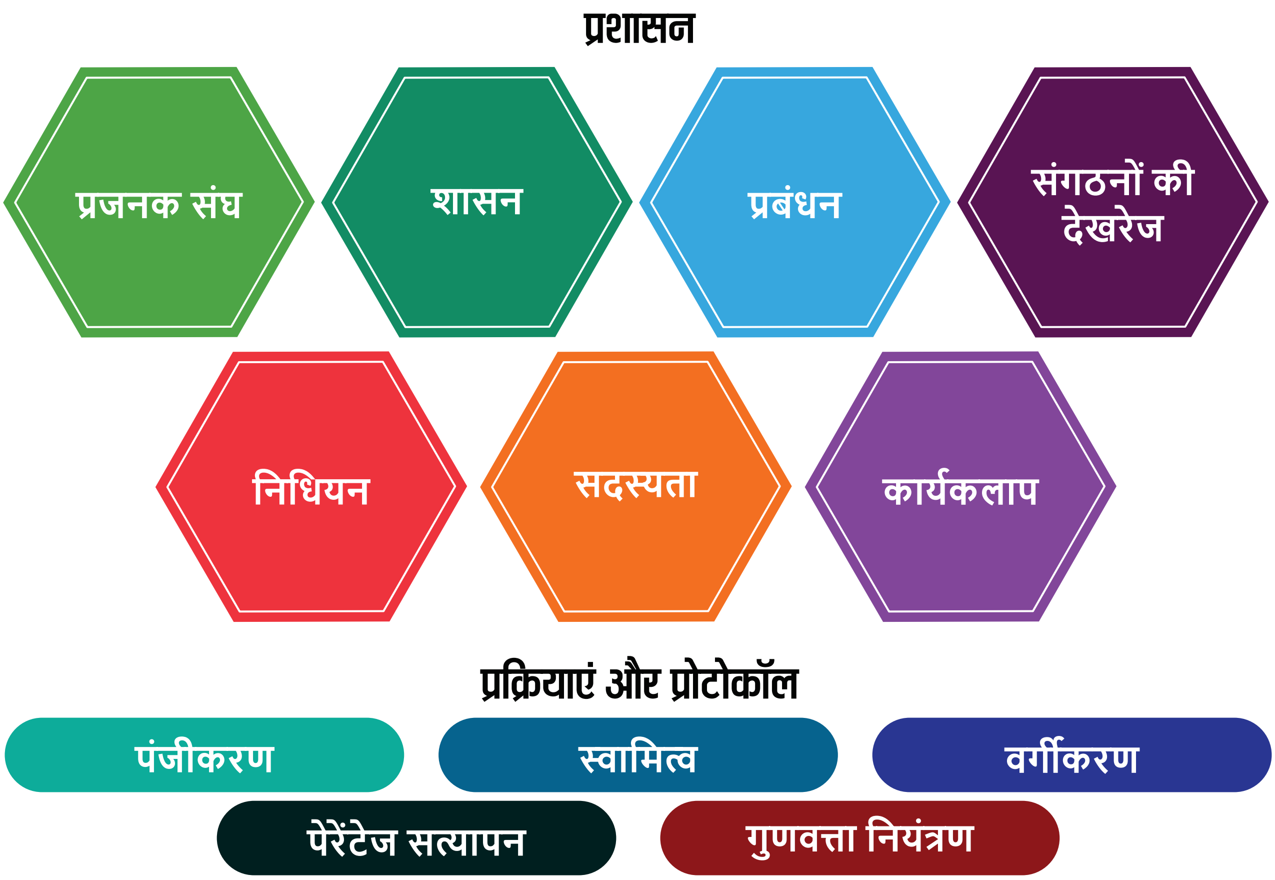

5. प्रजनक संघों की संरचना

क. नस्ल संघ को लाभ के लिए नहीं, दान के लिए, निगमित निकाय या सीमित कंपनी के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

ख. संगम का ज्ञापन (MOA) सदस्यता संरचना, सदस्यता नियम और संगठन के संचालन को निर्धारित करता है, जिसमें कार्यालय धारक, समितियां, बैठकें और मतदान की आवश्यकताएं तथा सदस्यों के अधिकार शामिल हैं। वे संगठन को चलाने के लिए एक आधार और निरंतरता प्रदान करते हैं और शासन, वित्तीय और कानूनी जिम्मेदारियों पर प्रभाव डालते हैं।

ग. उप-नियम, नियम और विनियमन में पशु यूथ पुस्तिका में प्रविष्टि करने के लिए पशुओं के पंजीकरण और ट्रेसेबिलिटी के बारे में संचालन और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

6. शासन प्रणाली

क. प्रजनक संघ की अंतिम जिम्मेदारी निदेशक मंडल या ट्रस्टियों के माध्यम से हो सकती है, जिन्हें आम तौर पर सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इस बोर्ड की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हों। चुनाव प्रक्रिया का रिकार्ड उपलब्ध होनी चाहिए।

ख. अधिकांश नस्ल संघों की वार्षिक आम बैठक होगी, जिसमें सदस्यों को पिछले वर्षों के काम पर एक रिपोर्ट प्राप्त होगी और वे संगठन के प्रबंधन और निदेशकों से सवाल कर सकते हैं।

ग. कर्मचारियों और सदस्यों के लिए उप-नियम, नियम और विनियम उपलब्ध होने चाहिए, ये परिचालन संबंधी मुद्दों से संबंधित हैं।

घ. राज्य पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के प्रतिनिधि, पशु यूथ पुस्तिका प्रबंधक, नस्ल के प्रजनकों/किसानों, स्थानीय शासन के व्यक्तियों, पशु चिकित्सकों, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी एक कार्यकारी समिति होनी चाहिए। यह समिति नस्ल की शुद्धता सुनिश्चित करने, प्रजनन के लिए उत्कृष्ट पशुओं का चयन करने, संरक्षण रणनीतियों का संचालन करने तथा बाजार संपर्क को सुगम बनाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है।

7. प्रबंधन

क. संगठन को चलाने वाली प्रबंधन टीम में पशुयूथ पुस्तिका प्रबंधक के साथ-साथ वित्त, कार्मिक, कार्यक्रम और विपणन जैसे क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार अधिकारी शामिल हो सकते हैं।

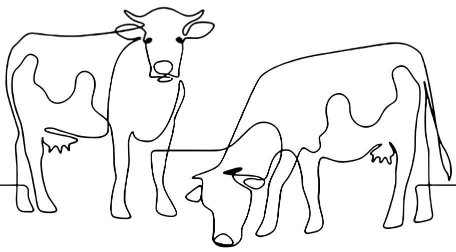

8. संगठन की देखरेख

राज्य सरकारों के पशुपालन विभाग नस्ल-विशिष्ट लक्ष्यों को परिभाषित करने और विनियमित करने तथा नस्ल-विशिष्ट मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रजनक सोसायटियों की नियमित निगरानी की जाएगी और उनकी मूल्यांकन किया जाएगा। DAHD, भारत सरकार उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रजनक समितियों को ग्रेड कर सकती है।

9. निधियन

सदस्यता शुल्क, वाणिज्यिक निधियन और वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत प्रजनक संघों के लिए वित्तपोषण का स्रोत होगी। संबंधित राज्य सरकार, दुग्ध परिसंघ, राज्य पशुपालन विभाग और दुग्ध उत्पादक संगठन प्रजनक संघों को उनकी स्थापना की प्रारंभिक अवधि के दौरान सहायता प्रदान कर सकते हैं। डीएएचडी राष्ट्रीय दुग्ध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल पशुओं के जीनोमिक प्रजनन मूल्य (GEBV) आकलन में प्रजनक संघों को सहायता प्रदान करेगा।

10. सदस्यता

क. संगठन की मुख्य सदस्यता प्रजनकों/किसानों की है। प्रजनक संघ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण कानून का उचित रूप से पालन करते हुए सदस्यों और संबंधित डेटा की एक सूची बनाए रखनी चाहिए।

ख. संघ में सदस्यता चाहने वाले प्रजनकों को कई पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। उनकी उम्र कानूनी रूप से कम होनी नहीं चाहिए (आमतौर पर 18 वर्ष या उससे अधिक) और स्वामित्व के प्रमाण (जैसे, पंजीकरण दस्तावेज या प्रमाण पत्र) के साथ विशिष्ट पशुधन नस्लों के पंजीकृत मालिक या प्रजनक होने चाहिए। नैतिक प्रजनन पद्धतियों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है, जिसमें वैज्ञानिक रूप से आधारित प्रजनन तकनीकों का उपयोग, पशु कल्याण नियमों का पालन और अवैज्ञानिक मेटिंग और आनुवंशिक विकारों से बचना शामिल है। प्रजनकों को स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन में पशु चिकित्सा रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए और टीकाकरण और बीमारी की रोकथाम सहित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रजनकों को पशु प्रजनन संबंधी अनुभव हो सकता है या पशुपालन या पशु चिकित्सा देखभाल में प्रासंगिक प्रमाण-पत्र प्राप्त किए हुए हो सकते हैं। आवेदन का प्रारूप अनुबंध। में संलग्न है।

ग. प्रत्येक प्रजनक संघ में प्रजनक सोसायटी/संघ के रूप में पंजीकरण के लिए कम से कम 50 प्रजनक हो सकते हैं। सदस्यता शुल्क न्यूनतम 100 रुपये होना चाहिए।

घ. सदस्यता के ग्रेड में 'पूर्ण', 'सहयोगी', 'लाइफ', 'युवा' शामिल हो सकते हैं।

ङ. प्रजनक संघ में, सदस्य अपने पशु यूथ के लिए ब्रांडिंग के रूप में उपयोग करने के लिए प्रीफिक्स चुन सकते हैं। अधिकांश मामलों में प्रीफिक्स का उपयोग पंजीकृत होने पर पशुओं के नाम के हिस्से के रूप में किया जाता है। संघ में भीतर प्रीफिक्स एक प्रजनक विशिष्ट होना चाहिए।

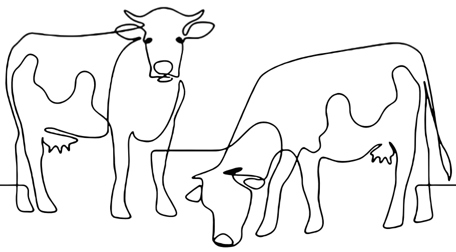

11. सेवाएँ/बिक्री/कार्यकलाप

क. नस्ल संघ अपनी नस्ल से संबंधित बिक्री और सेवाओं की एक कड़ी की पेशकश कर सकते हैं। बिक्री और सेवाओं में नस्ल वाले पशुओं का पंजीकरण, वर्गीकरण, युवा कार्यकलाप, पुरस्कार और प्रतियोगिताएँ आदि शामिल हो सकती हैं, लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है।

ख. नस्ल संघ को सेवाओं और सदस्यता शुल्क के लिए सदस्यों को बिल भेजने के लिए बिक्री खाता बनाए रखना चाहिए।

ग. स्टॉक जजिंग और कॉफ शो सहित युवा कार्यकलाप तैयार किए जा सकते हैं।

घ. नस्ल संघ की सदस्यता को निदेशकों और प्रबंधन के साथ संचार बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए, एक क्लब/शाखा स्थापित की जा सकती है।

12 प्रजनक संघ की प्रक्रिया और प्रोटोकॉल

12.1 पशु पंजीकरण

12.1.1 पंजीकरण प्रक्रिया

पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए नस्ल विशेषताओं/मानकों के अनुरूप पशु नस्ल संघ के सदस्यों से होने चाहिए, चाहे वे एकल या संयुक्त स्वामित्व वाले हों। नस्ल विशेषताओं/मानकों को पहचान योग्य विशेषताओं और/या प्रदर्शन लक्षणों के आधार पर, आईसीएआर-एनबीएजीआर (ICAR-NBAGR) के परामर्श से वस्तुनिष्ठ आधार पर विकसित किया जा सकता है। सूचीबद्ध नस्ल विशेषताओं/मानकों के आधार पर ही पशु की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है।

पशु यूथ पुस्तिका के मुख्य और पूरक अनुभागों में पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पशुओं को आम तौर पर उन्हें पंजीकृत करने वाले सदस्य द्वारा प्रजनन कराया जाना चाहिए, जब तक कि वे पहले से ही किसी अन्य पशु यूथ पुस्तिका में पंजीकृत न हों। अन्य पशु यूथ पुस्तिका की पहचान और अन्य पशु यूथ पुस्तिका से पशु पहचानकर्ता को भी दर्ज किया जाना चाहिए (डेटा एक्सचेंज के लिए क्रॉस रेफरेंस के रूप में)।

पंजीकृत सभी पशुओं को जीनोमिक चिप्स के माध्यम से जीनोमिक परीक्षण से भी गुजरना चाहिए।

- यदि पशु किसी अन्य पशुयूथ पुस्तक में पंजीकृत हैं, तो आनुवंशिकी के आयात के तरीके को - पशु, सीमन, भ्रूण के रूप में लिखा जाना चाहिए
- यदि कोई सदस्य गैर-पंजीकृत पशु खरीदता है, तो नस्ल संघ के गठन के आधार पर, वे पशुओं अपने स्वयं के पूर्वलग्न के तहत पंजीकृत करने में सक्षम हो सकते हैं।
- व्यक्तिगत नस्ल संघ के विवेक पर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत पशुओं के पेरेंटेज को सत्यापित करने के लिए डीएनए पैरेंटेज का उपयोग किया जा सकता है।
- नस्ल संघ के निदेशकों को पशुयूथ पुस्तक में पशुओं को शामिल करने से रोकने या अपने विवेक पर पशुयूथ पुस्तक से पशुओं को हटाने का अधिकार है।
- पशुयूथ पुस्तक में पशुओं को पंजीकरण करते समय भारत पशुधन / एनडीएलएम के तहत प्रदान दिए गए विशिष्ट पंजीकरण नंबर का उपयोग किया जाएगा।

12.1.2 पूरक पंजीकरण / रिकॉर्डिंग

उन पशुओं के लिए एक अलग रजिस्टर हो सकता है जो नस्ल के ग्रेड के हैं या शुद्ध नस्ल के नहीं हैं। इन पशुओं को उपयुक्त प्रजनन रणनीति द्वारा शुद्धता के लिए सुधारा जा सकता है।

12.1.3 एकाधिक जन्म

पंजीकरण के समय नस्ल संघ को अन्य पशु(ओं) का लिंग और पहचान संख्या बताते हुए, सूचित किया जाना एकाधिक जन्म से पैदा हुए पशुओं के संबंध में बताना चाहिए, बताई जानी चाहिए।

12.1.4 भ्रूण अंतरण

आईवीएफ और भ्रूण अंतरण के माध्यम से पैदा हुए पशुओं को तब दर्ज किया जाना चाहिए जब परिणामी पशु पंजीकृत हो, और पशुयूथ पुस्तक में नोट किया जाए। यह सलाह दी जाती है कि भ्रूण अंतरण से उत्पन्न पशुओं में गलत पेरेंटेज के जोखिम और परिणामी पशु के उच्च आनुवंशिक मूल्य के कारण पेरेंटेज का सत्यापन हो। आदर्श रूप से भ्रूण अंतरण को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जिसमें पेरेंटेज, ओपीयू तिथियां, आरोपण तिथियां शामिल हों, इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओपीयू से अंडों को मादा गर्भाधान से लेकर बड़ा होने तक ट्रैक किया जा सके। विभाजित भ्रूणों से प्राप्त पशुओं को पंजीकृत किया जा सकता है तथा उन्हें इस रूप में नोट किया जा सकता है।

12.1.5 आनुवंशिक लक्षण

आनुवंशिक लक्षण नस्ल विशेष के हो सकते हैं, अप्रभावी या प्रभावी हो सकते हैं, और उनका हानिकारक या वांछनीय प्रभाव हो सकता है। सभी आनुवंशिक विकारों को दर्ज किया जाएगा और आनुवंशिक विकारों वाले पशुओं को आगे समागम की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि पशुओं को आनुवंशिक विकारों से मुक्त रखा जा सके।

13. स्वामित्व की रिकॉर्डिंग

क. पशुओं के स्वामित्व में परिवर्तन को पशुयूथ की पुस्तक में या भारत पशुधन में रखे गए डेटा के अनुसार एक प्रजनक से दूसरे प्रजनक को अंतरण की तिथि के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।

ख. पशुओं का पंजीकरण करते समय होता है। जन्म की घटनाओं की पुष्टि करते स्वामित्व में परिवर्तन का उपयोग

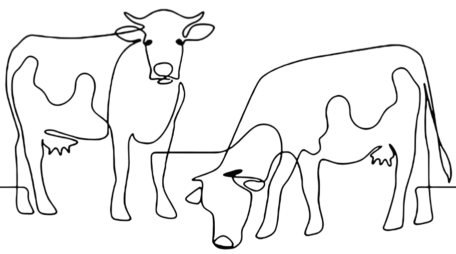

14. पशु निरीक्षण/वर्गीकरण

रेखीय प्रकार के वर्गीकरण का व्यापक रूप से उपयोग नस्लो के भीतर ही बोवाईन पशुओं का आकलन और तुलना करने के लिए किया जाता है। रेखीय स्कोरिंग अधिकतर डेयरी नस्लों में पाई जाती है। प्रकार मूल्यांकन प्रमाण की गणना प्रथम बछड़े-बछड़ी देने वालों के स्कोर के रेखीय लक्षणों से की जा सकती है। ये प्रमाण समागम (mating) कार्यक्रमों में नर को चुनने में उपयोग किए जा सकते हैं। संतति परीक्षण करने वाली एजेंसियों को संतति परीक्षण क्षेत्रों में समागम कार्यक्रम डिजाइन करने की अनुमति दी जाएगी।

15. पेरेंटेज सत्यापन

पेरेंटेज सत्यापन के लिए प्रजनक संघ एनडीडीबी पेरेंटेज परीक्षण प्रयोगशाला- पशुधन और आहार विश्लेषण तथा अध्ययन केंद्र (CALF), अनुप्रयुक्त पशुधन जीनोमिक प्रयोगशाला, केएलडीबी (KLDB) केरल, भा.कृ.अनु.प.– राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBAGR) आदि का उपयोग कर सकते हैं।

16. भारत पशुधन पोर्टल पर पंजीकरण

सभी प्रजनक संघों को भारत पशुधन पर एक संगठन के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के लिए उन्हें आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। भारत पशुधन पोर्टल के तहत प्रजनक सोसाइटियों के लिए अतिरिक्त फ़ील्ड सृजित जाएगी।

17. राज्य सरकारों की भूमिका और प्रजनक संघ का पंजीकरण

17.1 राज्य सरकारें भी पशु प्रजनक समितियों को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रत्येक नस्ल संघ संबंधित राज्य पशुपालन विभाग के साथ पंजीकरण करा सकता है। पशुधन प्रजनन सेवा प्राधिकरण (LBCA)/बोवाईन प्रजनन प्राधिकरण जो बोवाईन प्रजनन अधिनियम को लागू करने वाले राज्यों द्वारा पहले से ही गठित है, उसे प्रजनक समितियों के पंजीकरण के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित किया जा सकता है। अन्य राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित प्रजनक समितियों के पंजीकरण के लिए उपयुक्त एजेंसी नामित कर सकते हैं।

17.2 राज्य प्रजनक समितियों को सहायता प्रदान कर सकता है और प्रजनक समितियों को सदस्यों के बीच सीमन खुराक का वितरण करने, नस्ल संबंधी जानकारी रखने, नस्ल शुद्धता परीक्षण करने, देशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड़ों की पहचान करने, प्रजनक समिति द्वारा पहचाने गए सांड़ों की सीमन खुराक के वितरण के लिए सीमन स्टेशनों से रॉयल्टी का संग्रह करने जैसे नस्ल विकास कार्यकलाप करने की अनुमति दे सकता है।

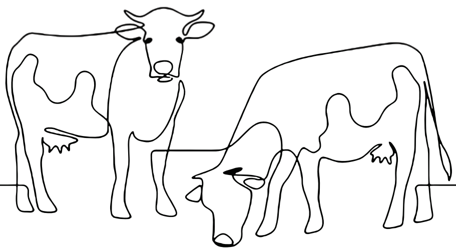

17.3 राज्य, राज्य की नीतियों को राष्ट्रीय ढाँचों के साथ जोड़ सकते हैं, राज्य-विशिष्ट नियम बना सकते हैं, और अपने क्षेत्र के लिए विशिष्ट देशी नस्लों की पहचान कर उनके संरक्षण को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके अलावा, वे अवसरंचना, वित्तीय सहायता और अनुसंधान संस्थानों या संगठनों के साथ साझेदारी करके स्थापना को सुगम बना सकते हैं। विस्तार सेवाओं, प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह के माध्यम से तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण प्रदान किया जाता है। राज्य निष्पादन की निगरानी भी कर सकते हैं, पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकते हैं और राष्ट्रीय निकायों, अन्य राज्यों, अनुसंधान संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अंततः देश के पशुधन प्रजनन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

17.4 प्रजनक समितियों के मूल्यांकन और ग्रेडिंग तथा तकनीकी बैकस्टॉपिंग को दूर करने के लिए डीएएचडी द्वारा निम्नलिखित संरचना के साथ केंद्रीय निगरानी इकाई (CMU) का गठन किया जाएगा: (i) एनबीएजीआर (NBAGR) के निदेशक/प्रतिनिधि; (ii) राज्य पशुधन विकास बोर्ड के संबंधित सीईओ; (iii) डीएएचडी, भारत सरकार के प्रतिनिधि; और (iv) संबंधित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि। प्रारंभ में सीएमयू द्वारा वार्षिक रूप से प्रजनक समितियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

पंजीकरण आवश्यकताएँ

पंजीकरण चाहने वाले प्रत्येक नस्ल संघ को निर्धारित प्रारूप (अनुबंध II) के अनुसार संबंधित राज्य सरकार को एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ निम्नलिखित सहायक दस्तावेज़ संलग्न होने चाहिए:

1. संस्थापक प्रलेख (MOA) - संघ के उद्देश्यों, भूमिकाओं और कार्यकलापों के दायरे को रेखांकित होना चाहिए।

2. सदस्यों की सूची - कम से कम 50 सक्रिय सदस्य जिसमें, उनके नाम, पता, संपर्क विवरण और प्रजनक पहचान (यदि उपलब्ध हो) शामिल होनी चाहिए।

3. शासन संरचना - कार्यकारी निकाय, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों तथा निर्णय लेने वाले पदानुक्रम का विवरण।

4. प्रबंधन संरचना - स्टाफिंग योजना, परिचालन वर्कफ़्लो(workflow) और कार्यान्वयन तंत्र।

5. नस्ल संरक्षण और विकास कार्य योजना - नस्ल की पहचान, पंजीकरण, संरक्षण, सुधार और सतत उपयोग के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों की रूपरेखा।

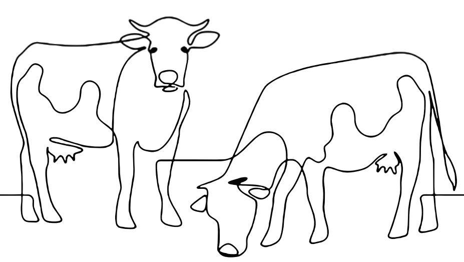

राज्य स्तरीय पंजीकरण और विशिष्ट पहचान

दस्तावेजों के सत्यापन और राज्य सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा उचित अनुमोदन के बाद, राज्य सरकार एक विशिष्ट प्रजनक सोसायटी आईडी जारी करेगी, जिसका उपयोग भारत पशुधन राष्ट्रीय पशुधन पोर्टल में पंजीकरण और एकीकरण के लिए किया जाएगा।

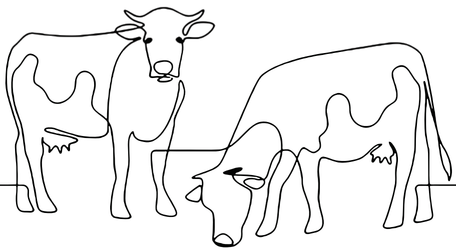

अनुबंध I

Paste Photograph of Applicant

सदस्यता आवेदन प्रपत्र

व्यक्तिगत जानकारी	
पूरा नाम	
जन्म तिथि	
पिन कोड सहित पूरा पता	
पंचायत	
फ़ोन नंबर	
ईमेल आईडी	
व्यावसायिक जानकारी	
प्रजातियाँ	1. डेयरी गोपशु
	2. भैंस
	3. पोल्ट्री
	4. भेड़
	5. बकरी
	6. अन्य
नस्ल	नस्ल का नाम/नॉन-डिस्क्रिप्ट
प्रजनक के स्वामित्व वाले पशुओं की संख्या (नस्लवार विवरण)	
प्रजनन अनुभव के वर्ष	
पशुचिकित्सक संपर्क	
पशुपालन से संबंधित प्रमाणपत्र	
संरक्षण कार्यकलाप	
संदर्भ	
हस्ताक्षर	
तिथि	
कार्यालय उपयोग के लिए	
आवेदन की स्थिति	1. अनुमोदित 2. लंबित 3. अस्वीकृत
द्वारा संसाधित	
संसाधित तिथि	

अनुबंध II

प्रजनक सोसायटी पंजीकरण आवेदन पत्र

भाग क: सोसायटी का विवरण

फील्ड	जानकारी
प्रजनक सोसायटी का नाम	
स्थापना की तिथि	
पोस्टल कोड सहित पूरा पता	
राज्य	
फ़ोन नंबर	
ईमेल आईडी	
वेबसाइट (यदि कोई हो)	
ध्यान केंद्रित की जाने वाली प्रजातियां (चिह्न ✓)	डेयरी गोपशु भैंस पोल्ट्री भेड़ बकरी घोड़ा अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): ____________
नस्ल वार संख्या	

भाग ख: प्रशासन संरचना

पद	विवरण
अध्यक्ष	
उपाध्यक्ष	
प्रबंधक	
अन्य प्रमुख अधिकारी	
चुनाव प्रक्रिया सारांश	

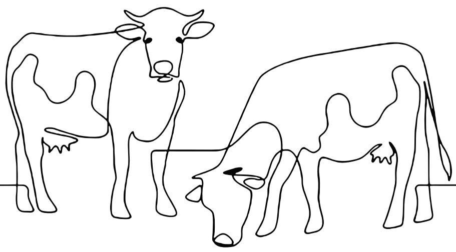

भाग ग: सदस्यता विवरण

फील्ड	जानकारी
वर्तमान सदस्यता (सं.)	
प्रवेश शुल्क (रु.)	
वार्षिक सदस्यता शुल्क (रु.)	
आजीवन सदस्यता शुल्क (रु.) (यदि लागू हो)	
अन्य श्रेणियाँ (कृपया निर्दिष्ट करें)	
प्रस्तावित सदस्यता प्रकार (✓ का चिह्न लगाएं)	पूर्ण सदस्यता सहयोगी सदस्यता आजीवन सदस्यता युवा सदस्यता अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): ____________

भाग घ: नस्ल की विशेषताएं और मानक

फील्ड	जानकारी
नस्ल का नाम	
पंजीकरण के लिए नस्ल मानक	
नस्ल की शुद्धता की पुष्टि के लिए प्रयुक्त विधि	
जीनोमिक परीक्षण साझेदारी (यदि स्थापित हो)	

भाग ड.: कार्यकलाप और योजना

फील्ड	जानकारी
सोसायटी के मुख्य कार्यकलाप	

भाग च: नस्ल संरक्षण कार्य योजना (कृपया निम्नलिखित विवरण के साथ विस्तृत योजना संलग्न करें):

फील्ड	जानकारी
नस्ल की वर्तमान स्थिति	
कार्यान्वयन की समयसीमा	
संरक्षण रणनीतियाँ	
अपेक्षित परिणाम	

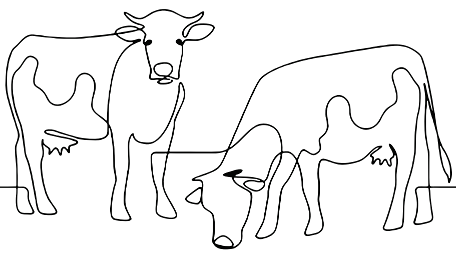

संलग्नक चेकलिस्ट	स्थिति (✓)
संस्थापन प्रलेख	
न्यूनतम 20 सदस्यों की विवरण सहित सूची	
प्रशासन संरचना संबंधी दस्तावेज़ीकरण	
प्रबंधन संरचना दस्तावेज़ीकरण	
नस्ल संरक्षण और विकास संबंधी कार्य योजना	
चुनाव प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज़ीकरण	
कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): ______________	

भाग छः घोषणा और संलग्नक

हम घोषणा करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारी हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। हम समझते हैं कि किसी भी गलत जानकारी के परिणामस्वरूप हमारा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

फील्ड	हस्ताक्षर	तिथि
अध्यक्ष		
उपाध्यक्ष		
पशुयूथ पुस्तक प्रबंधक		

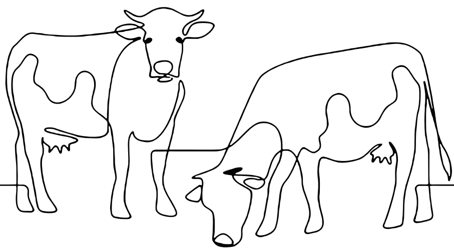

केवल राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए

फील्ड	जानकारी
आवेदन प्राप्त हुआ	
आवेदन की स्थिति	पूर्ण अपूर्ण (अतिरिक्त जानकारी आवश्यक): ______________
फ़ील्ड सत्यापन	• सत्यापन की तिथि • सत्यापन अधिकारी • सत्यापन रिपोर्ट का सारांश
एनडीएलएम पोर्टल पंजीकरण	• पंजीकरण की तिथि • संगठन की आईडी
टिप्पणी	
अनुमोदन प्राधिकारी के हस्ताक्षर	तिथि

आधिकारिक सील:

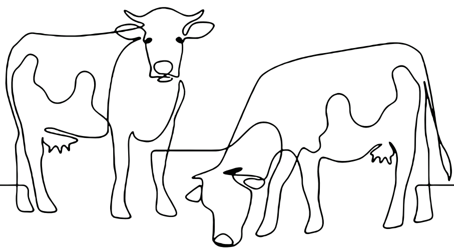

सत्यमेव जयते

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली 110001